डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:
www.dfccil.gov.in

No.2016/HQ/Admin/RTI-345 New Delhi; 27-01-2017

Sh. Sohanlal Balotiya,
Vill:-Sojat Road,
Tahseel: Sojat City,
Dist.:-Pali,
Rajsthan-306103

To be emailed

प्रिय महोदय,

Sub: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना सुलभ कराना।
Providing information under the RTI Act 2005

Ref: 1.Your original application dated 05-01-2017 received on 12-01-2017 .

In terms of Railway Board letter No. 2014//Infra/17/5 dated 5.3.2014, it has been clarified that Railway Board's policy No. E(NG) II /2010/RC.5/1 dated 16.07.2010 regarding appointment of land losers affected by land acquisition for railway projects is applicable only to Railway/ Production Units and not to Railways Public Sector Undertakings (PSUs) and other Units. This policy is not applicable to Dedicated Freight Corridor Corporation Of India Limited (DFCCIL) as it is a Public Sector Undertaking (PSU).

अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पता है: श्री सतीश कोठारी, ग्रुप महाप्रबंधक/प्रशासन, डी एफ सी सी आई एल, नई दिल्ली–110001.

27/01/17

(तेजपाल चावला)
(Tejpal Chawla)
प्रबंधक/प्रशासन/आर टी आई
Manager/Admin/RTI

copy/copies for information to:

JGM/HR-I

72 (60)

Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)

Diary No. 446 /MD/DFCC
Date 7/3/2014

No. 2014/Infra/17/5 5th March 2014

General Manager,
NorthWestern Railway,
Jaipur.

Sub: OA No.OA/291/00113/2014 received from Hon'ble Central Administrative Tribunal (CAT), Jaipur Bench, Jaipur.

Please find enclosed herewith a Notice received from Hon'ble CAT, Jaipur Brench regarding Appearance and Production of Relevant Record (OA No. OA/291/00113/2014).

The above mentioned Notice has been furnished by Shri Latesh Tank S/o Sh. Munna Lal, r/o Gulab-Bari, Nayaghar, Near Tejaji Ki Devli, Ajmer, Rajasthan whose land has been acquired for DFC Project. Shri Tank vide CAT Notice has requested for employment in lieu of his land acquired for the DFC Project as per the policy issued by MoR vide E(NG)II/2010/RC-5/1 dated 16.7.2010.

As earlier clarified, Policy No. E(NG)II/2010/RC-5/1 dated 16.7.2010 regarding appointment of land losers affected by land acquisition for railway projects is applicable only to Railway/Production Units and not to Railways Public Sector Undertakings (PSUs) and other Units. This policy is not applicable to Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL) as it is Public Sector Undertaking (PSU).

The above case may suitably be dealt on behalf of Ministry of Railways under intimation to this office.

7/3/14

(Jeetendra Singh)
Director/Planning (Spl.)
Tele/Fax:011-23383525

Copy to: 1. Managing Director, DFCCIL, New Delhi
2. DRM/Jaipur Division/NWR

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आर बी ई संख्या 99/2010

संख्या ई (एन.जी.) I I/2010/आर.सी.5/1

नई दिल्ली, दि.16.07.2010

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाईयां
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषयः रेलवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित भूमिहीनों की नियुक्ति।

****

इस विषय पर पूर्ववर्ती सभी अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि रेलें, रेलवे परियोजनाओं (निक्षेप कार्यों को छोड़कर) के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण हुए भूमिहीनों से केवल 1800 रू. ग्रेड पे के साथ 5200-20,200रू. के पी.बी.-1 पे बैंड में नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करें तथा उन पर विचार करें। क्षेत्रीय रेलों की कार्मिक शाखा द्वारा उन भूमिहीनों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाए जो नीचे पैरा 2 में दिए गए स्क्रीनिंग मानदंडों को पूरा करते हैं।

1. स्क्रीनिंग मानदंडः

(i) आवेदक (भूमि का एकमात्र मालिक अथवा उसका पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी) ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी भूमि अथवा भूमि का एक भाग परियोजना के लिए अधिग्रहीत किया गया हो। यदि भूमि का मालिक एक व्यक्ति से अधिक हो, तो सक्षम प्राधिकारी/भूमि अधिग्रहण अधिकारी यह निर्णय लेगा कि आवेदक किसे माना जाए जैसा कि रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 में परिभाषित है। भूमिहीन परिवार से केवल एक ही आवेदक को नौकरी की पेशकश की जाएगी।

(ii) यह सुनिश्चित किया जाए कि विस्थापित व्यक्ति को परियोजना के लिए अधिग्रहीत की गई उसकी भूमि के बदले राज्य सरकार से कोई भूमि नहीं मिली हो।

3. रेलवे प्रशासन संबंधित सक्षम प्राधिकारी/भूमि अधिग्रहण अधिकारी से अनुरोध करेगा कि वह उन व्यक्तियों को प्रमाणपत्र जारी करे जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गई हो ताकि दावों का उचित सत्यापन हो सके।

4. नियुक्ति के लिए दावा करने वाले आवेदक को आवेदन पत्र अपने हस्ताक्षर करके तथा फोटो स्थानीय संसद सदस्य, विधायक अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवारों को उपर्युक्त पैरा 2 में नियत पात्रता मानदंडों को पूरा करते

हुए सक्षम प्राधिकारी/भूमि अधिकरण अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसे संबंधित मंडल रेल प्रबंधकों द्वारा समन्वित किया जाएगा।

5. आवेदक सामान्यतः खुले बाजार से सीधी भर्ती कोटे के पद के लिए निर्धारित पात्रता तथा अन्य शर्तों को पूरा करेगा। विशेष मामलों में रेलवे के महाप्रबंधक इन शर्तों में छूट दे सकते हैं तथा शैक्षिक अर्हता के संबंध में केवल पढ़ने/लिखने की क्षमता रखने वाले आवेदक पर भी विचार किया जाएगा।

6. रेलवे के महाप्रबंधक जिनके क्षेत्राधिकार में भूमि अधिग्रहण किया जाना है, उम्मीदवारों के उचित तथा पारदर्शी चयन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

7. एक बार नियुक्ति की पेशकश कर दिए जाने पर, भूमि के उसी भाग के अधिग्रहण के आधार पर नियुक्ति के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8. ये अनुदेश सामान्यतः उन मामलों में लागू नहीं होंगे जिनमें रेलवे द्वारा भूमि का कब्जा लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की गई है।

(रवि शेखर)
उप निदेशक स्था. (अराज.) II
रेलवे बोर्ड

संख्या ई (एन.जी.) II/2010/आर.सी.5/1 नई दिल्ली, दि. 16.07.2010

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महासचिव, एआईआरएफ, 4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. महासचिव, एनएफआईआर, 3, चेम्सफोर्ड, रोड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
3. राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सदस्य तथा कर्मचारी पक्ष के सचिव, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
4. महासचिव, फ्रोआ एवं इरपोफ, कमरा नं. 256-ए एवं 268, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5. महासचिव, एआईआरपीएफ एसोसिएशन कमरा संख्या 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली (5 प्रतियां)
6. सचिव, आ.बी.एस.एस. ग्रुप ए आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 462, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. महासचिव, आर.बी.पी.ओ.ए, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नाई दिल्ली।
8. सचिव, आर.बी.एस.एस ग्रुप बी एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, आर.बी.एम.एस.ए, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' कर्मचारी एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. रेल संरक्षा, मुख्य आयुक्त, लखाऊ।
12. अवर (संरक्षा), रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड